nt>
Title: Need to Write off the Loans of Weavers in Gaya District of Bihar.

श्री कृष्ण कुमार चौधरी (गया): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बुनकरों के ऋण माफी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं :

भारत सरकार ने राहत ऋण योजना १९९० की घोषणा कर बुनकरों एवं कारीगरों की ऋण माफी प्रक्रिया शुरू कराई जिसके अंतर्गत हमारे बिहार राज्य के भी अनेक जिलों में १० हजार तक दिये गये ऋण बुनकरों को माफ किये जा चुके हैं। सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना ने भी घोषणा की थी कि अगर बुनकरों एवं कारीगरों की परिसम्पत्ति का नुकसान किसी भी कारण से हुआ हो तो उन्हें भी कर्ज के बोझ से राहत दी जायेगी, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का मामला हमारे बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत मानपुर में है। यहां हजारों-हजार बुनकर कुटीर उद्योग लगाकर स्वरोजगार कर रहे हैं एवं पिछड़े तथा गरीब लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। यहां के कुछ बुनकरों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर उपरोक्त योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, यह मामला मगध सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, गया से संबंधित है।

इस संबंध में बैंक प्रशासन प्रतिनिधि एवं मेरे क्षेत्र के बुनकर प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर ऋण माफ की सूची उपलब्ध कराने का निर्णय दोनो पक्षों द्वारा लिया गया। इस निर्णयानुसार सभी बुनकर समितियों ने समय सीमा के अंदर यह सूची दाखिल कर दी है। परंतु बैंक ने ऋण माफी न कर उल्टे नोटिस जारी कर दी है जबकि बैंक को ही ऋण माफी का दायित्व दिया गया था।

मैं प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इन बुनकरों को ऋण माफी की इस समस्या से मुक्ति दिलाकर स्वरोजगगार कर रहे इन बुनकरों को रोजगार प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही साथ सूत प्राप्त करने की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।